

**Paras Navneet
Advocate
Mobile.No.-9891678964
Reg. No. UP1573/09**

**Chamber No.72,
Tehsil Compound Ghaziabad.**

Ref:

Date: 11-07-2023

**Sub registrar Office
Campus2nd
Ghaziabad(U.P.)**

SUB:-NON-ENCUMBRANCE CUM SEARCH REPORT

This is to certify that have searched the record of Book No.1 in the office of sub Registrar 2nd Ghaziabad (U.P.) With regards Khasra No.1069 situated at Noor Nagar Tehsil & Distt-Ghaziabad (U.P.) Executed By Paras Navneet Advocate

The Transferee of the above said Plot is Rajvansh Infracon Pvt. Ltd .registered in the office of sub registrar 2nd Ghaziabad (U.P.) Which is free from all sorts of encumbrances such as sale, gift, lien, dispute, loan and the said property is situated inthe Plot

The above said property can be treated as security for getting loan from any financial institution.

PARAS NAVNEET
Advocate
Chamber No.-72
Tehsil Compound Ghaziabad
Mob.-9891678964
Yours Sincerely,

PARAS NAVNEET ADVOCATE

कार्यालय उपनिबन्धक सदर द्वितीय गाजियाबाद जनपद गाजियाबाद

आवेदन संख्या 22/2213700578

प्रमाण संख्या :22022137000479

भार मुक्त प्रमाण-पत्र (रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री. पारस नवनीत एड पुत्र- तहसील गाजियाबाद जिला गाजियाबाद ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राप्ता पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का ग्राम/मोहल्ला - नूरनगर, वार्ड/परगना- सोनी, कृषि- राजवंश इन्फ्राकॉन प्रा0 लि0 द्वारा संजय कुमार, कृषि भूमि खसरा न० 1069 कुल क्षेत्र-
विवरण 4102 वर्ग मी, 1069

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि इंटेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 01/01/2011 से दिनांक 20/05/2022 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक 30-05-2022

- नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आदेक द्वारा दिए गए खासियत के खंडों के आधार पर तैयार किए गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए वर्णन से किसी दूसरे दृश्य से दर्जित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।
2. व्यक्ति तलाश कार्यालय द्वारा परामर्शित खासियतों के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।
4. यह प्रमाण-पत्र किसी खासियत के खतम का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन अधिकारी: विनित कुमार।
मिलान करने वाले निबन्धन अधिकारी: विनित कुमार।

SHARMA Digitally signed by
NAVINKUMAR SHARMA
SHRIRATANKUMAR
UMAR Date: 2022.05.30
12:03:08 +05'30'

उपनिबन्धक सदर द्वितीय
गाजियाबाद

